संख्या-ई.12019/1/2014-हिंदी

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

दिनांक: 28 अगस्त, 2015

विषय: कारपोरेट कार्य मंत्रालय (मुख्यालय) में दिनांक 15 से 30 सितम्बर, 2015 तक "हिंदी पखवाड़ा" का आयोजन

मंत्रालय में हिंदी का प्रचार-प्रसार करने एवं हिंदी के प्रयोग के प्रति अधिकारियों/कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए "हिंदी पखवाड़ा" मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। पखवाड़ा दिनांक 15 से 30 सितम्बर, 2015 तक मनाया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी:

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता की तारीख
1.	हिंदी निबंध प्रतियोगिता (हिंदी भाषा-भाषी)	14.09.2015
2.	हिंदी निबंध प्रतियोगिता (हिंदीतर भाषा-भाषी)	14.09.2015
3.	हिंदी टिप्पण तथा आलेखन प्रतियोगिता (हिंदी भाषा-भाषी)	15.09.2015
4.	हिंदी टिप्पण तथा आलेखन प्रतियोगिता (हिंदीतर भाषा-भाषी)	15.09.2015
5.	हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिता (हिंदी भाषा-भाषी)	16.09.2015
6.	हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिता (हिंदीतर भाषा-भाषी)	16.09.2015
7.	हिंदी आशुभाषण प्रतियोगिता (हिंदी भाषा-भाषी)	17.09.2015
8.	हिंदी आशुभाषण प्रतियोगिता (हिंदीतर भाषा-भाषी)	17.09.2015
9.	हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता (हिंदी भाषा-भाषी)	18.09.2015
10.	हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता (हिंदीतर भाषा-भाषी)	18.09.2015
11.	एमटीएस कर्मचारियों के लिए सुलेख प्रतियोगिता	18.09.2015
12.	अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा फाईलों पर हिंदी लेखन प्रतियोगिता (15 सितम्बर, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 के दौरान)	

2. आशुभाषण प्रतियोगिता में समसामयिक मुद्दों पर कुछ शीर्षक दिए जाएंगे जिस पर प्रतिभागियों को अपना विचार संक्षेप में प्रस्तुत करना होगा। टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता में फाइलों में टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन के साथ-साथ हिंदी शब्दों/पदों/वाक्यांशों का अंग्रेजी में और अंग्रेजी शब्दों/पदों/वाक्यांशों का हिंदी में अनुवाद भी पूछा जाएगा। कविता पाठ प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को अपनी मूल (स्वरचित) कविता का पाठ करना होगा। एमटीएस कर्मचारियों के लिए सुलेखन प्रतियोगिता में हिंदी में एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसे स्पष्ट एवं सुन्दर अक्षरों में लिखना होगा तथा कुछ शब्द श्रुतलेख (Dictation) कराया जाएगा। **फाईलों पर हिंदी लेखन प्रतियोगिता (15 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2015 के दौरान) में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पखवाड़ा अवधि में फाइलों में की गई नोटिंग और प्रारूप लेखन (Drafting) का रिकार्ड अपने नियंत्रण अधिकारी द्वारा अग्रेषित कराकर दिनांक 05 अक्तूबर, 2015 को हिंदी अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। इस प्रतियोगिता हेतु न्यूनतम शब्द सीमा 1500 होगी।**

2/-

3. प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को क्रमश: 3000/-रु., 2400/-रु., 2000/-रु तथा 1600/- पुरस्कार दिए जाएंगे।

4. उपर्युक्त सभी कार्यक्रमों में मुख्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी भाग ले सकते हैं। भाग लेने वाले इच्छुक प्रतियोगी अपना नाम संलग्न प्रपत्र में 11 सितम्बर, 2015 तक हिंदी अनुभाग में अवश्य प्रस्तुत करें।

5. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे हिंदी पखवाड़े के दौरान अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करें।

28.8.15

(बी. एल. वर्मा)

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

1. कारपोरेट कार्य मंत्री के निजी सचिव।
2. सचिव, कारपोरेट कार्य के प्रधान कार्मिक अधिकारी।
3. अपर सचिव/संयुक्त सचिव(एम)/संयुक्त सचिव(बी.)/संयुक्त सचिव(केवीआर)/संयुक्त सचिव(एसी) के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव।
4. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी।
5. सामान्य अनुभाग को सूचनार्थ।
6. ई-गवर्नेंस सेल को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

*****